

**राजस्थान सरकार**  
**विधि (ग्रुप-2) विभाग**

क्रमांक प.8(7)विधि-2/विरसं.(39)/2002 पार्ट III/27

जयपुर, दिनांक: 24.01.2025

**आज्ञा**

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22(बी) के अन्तर्गत माननीय कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर की अभिशंभानुसार राज्य सरकार द्वारा संस्थापित जन-उपयोगी सेवाओं की स्थायी लोक अदालतों में सदस्य पद पर पदस्थापित निम्नलिखित सदस्यगणों के मनोनयन की कालावधि उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या 08 में अंकित तिथि अथवा 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक, जो भी पूर्व हो, तक के लिए इस संबंध में प्रभावी नियमों के अधधीन एतद्वारा बढ़ायी जाती है:-

क्र. सं.	स्थायी लोक अदालत	स्थायी लोक अदालत में नियुक्त सदस्य का नाम (सर्व श्री/श्रीमती/डॉ./सुश्री)	जन्म तिथि	नियुक्ति आदेश संख्या/ दिनांक	कार्यग्रहण तिथि	कार्यकाल पूर्ण होने की दिनांक	विस्तारित कार्यकाल की अवधि
01	02	03	04	05	06	07	08
1.	अजमेर	राकेश गौड	30.07.1963	65/02.02.2024	05.02.2024	04.02.2025	04.02.2026
2.	अलवर	जगदीश सैनी	16.07.1981	65/02.02.2024	07.02.2024	06.02.2025	06.02.2026
3.	भरतपुर	योगेश कुमार शर्मा	12.08.1962	65/02.02.2024	07.02.2024	06.02.2025	06.02.2026
4.	बीकानेर	विमला रामावत	11.04.1963	65/02.02.2024	09.02.2024	08.02.2025	08.02.2026
5.	बून्दी	हिमांशी	01.11.1986	65/02.02.2024	05.02.2024	04.02.2025	04.02.2026
6.	जयपुर महानगर द्वितीय	भावना भाटी	15.07.1973	65/02.02.2024	07.02.2024	06.02.2025	06.02.2026
		कल्याण सहाय अग्रवाल	08.12.1965	65/02.02.2024	07.02.2024	06.02.2025	06.02.2026
7.	जालौर	रमेश कुमार	01.01.1984	65/02.02.2024	05.02.2024	04.02.2025	04.02.2026
		फरमान अली	25.12.1975	65/02.02.2024	05.02.2024	04.02.2025	04.02.2026

आज्ञा से

E.I.

(ब्रजेन्द्र जैन)

प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. रजिस्ट्रार जनरल, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
2. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।

3. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
4. संयुक्त शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
- ✓ 5. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उप निदेशक), विधि एवं विधिक कार्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
6. निजी सचिव, माननीय विधि मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
7. निजी सचिव, माननीय कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
8. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
9. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि।
10. सम्बन्धित अधिकारीगण जरिये कार्यालय सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।

(सुरेन्द्र पुरीहित) 24/01/25  
विशिष्ट शासन सचिव, (वि.र.सं.)